झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
द्वादश (मानसून) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः– 10 श्रावण, 1945 (श०) / 01 अगस्त, 2023 (ई०) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
32-	अ०सू०–06	श्री राजेश कच्छप	जनोन्मुखी नीति बनाना।	खान एवं भूतत्व	22-07-23
33-	अ०सू०–20	श्री लोबिन हेम्ब्रम	न्यायादेश लागू करना।	खान एवं भूतत्व	26-07-23
34-	अ०सू०–10	श्री मनीष जायसवाल	राशि का भुगतान।	पर्य०कला०सं० खेल कूद एवं युवा कार्य	24-07-23
35-	अ०सू०–16	श्री लोबिन हेम्ब्रम	नियुक्ति प्रारम्भ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24-07-23
36-	अ०सू०–05	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-07-23
37-	अ०सू०–02	श्री अनन्त कुमार ओझा	रिक्त पदों पर नियुक्ति करना।	उच्च एवं तक० शिक्षा	22-07-23
38-	अ०सू०–15	श्री निरल पुरती	मिड–डे–मिल का संचालन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24-07-23
39-	अ०सू०–18	श्री मथुरा प्रसाद महतो	वनरक्षक की नियुक्ति।	वन,पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	26-07-23
40-	अ०सू०–26	श्रीमती पुष्पा देवी	सेवा सम्पुष्टि करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-07-23
41-	अ०सू०–17	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	पद सृजित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24-07-23

01	02	03	04	05	06
42-	अ०सू०-22	श्री भूषण बड़ा	बकाये राशि का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-07-23
43-	अ०सू०-19	श्री प्रदीप यादव	मानदेय में वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-07-23
44-	अ०सू०-13	श्री राज सिन्हा	वन पट्टा देना।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	24-07-23
45-	अ०सू०-07	डॉ०सरफराज अहमद	आचार्य के पद पर सामायोजित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-07-23
46-	अ०सू०-03	डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता	बालू उपलब्ध कराना।	खान एवं भूतत्व	22-07-23
47-	अ०सू०-24	प्रो०स्टीफन मराण्डी	वित्तीय लाभ प्रदान करना।	उच्च एवं तक० शिक्षा	26-07-23
48-	अ०सू०-28	श्री मनीष जायसवाल	शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-07-23
49-	अ०सू०-29	श्री दीपक बिरूवा	नामांकन प्रकिया प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तक० शिक्षा	26-07-23
50-	अ०सू०-11	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24-07-23
51-	अ०सू०-27	श्री दीपक बिरूवा	भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-07-23
52-	अ०सू०-01	श्री बिनोद कुमार सिंह	पद के अनुरूप वेतनमान् देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-07-23
53-	अ०सू०-14	श्री सरयू राय	दोषियों पर कार्रवाई।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	24-07-23
54-	अ०सू०-12	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	कर्मचारियों की नियुक्ति।	उच्च एवं तक० शिक्षा	24-07-23
55-	अ०सू०-21	श्री प्रदीप यादव	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-07-23
56-	अ०सू०-08	सुश्री अम्बा प्रसाद	उत्तम शिक्षा प्रदान करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-07-23
57-	अ०सू०-04	श्री बिरंची नारायण	वैकल्पिक व्यवस्था करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-07-23
58-	अ०सू०-25	श्री सरयू राय	अवैध कब्जा से मुक्त कराना।	पर्य०कला०सं० खेल कूद एवं युवा कार्य	26-07-23
59-	अ०सू०-09	श्री किशुन कुमार दास	उम्र सीमा में छुट देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24-07-23

01	02	03	04	05	06
60-	अ०सू०-23	श्री संजीब सरदार	ऑल चिकी लिपि की पढ़ाई।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	26-07-23

राँची,
दिनांक-01 अगस्त,2023 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-03/2020-2009/वि०स०,राँची,दिनांकः-28/07/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/23

(कुन्दन कुमार सिंह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-03/2020-2009/वि०स०,राँची,दिनांकः-28/07/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/23

उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-03/2020-2009/वि०स०,राँची,दिनांकः-28/07/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एंव आश्वासन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं अनागत प्रश्न एवं कियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/23

उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

28/07/2023

(25)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में बालू उत्खनन् व उठाव 10 जून 2023 को NGT द्वारा रोक दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय NGT द्वारा वाद O.A. No.120/2016/EZ में पारित आदेश दिनांक–17.08.2016 तथा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के अनुपालन में मानसून अवधि (10 जून–15 अक्टूबर) में बालूघाटों से बालू उत्खनन एवं उठाव पर रोक है। मानसून अवधि में बालू का क्रय/आपूर्ति बालू भंडारण स्थलों (Stock Yards) से किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित उत्खनन् की रोक से बालू की कीमते कई गुणा बढ़ गई जिससे builders, contractors, आम नागरिकों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा Real Estate भी प्रभावित है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। मानसून अवधि में राज्यान्तर्गत बालू की सुगम आपूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० के Stock Yards से आम नागरिकों को बालू उपलब्ध कराने के संदर्भ में दिनांक–11.06.2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है एवं विभिन्न जिलों में अवस्थित निजी बालू भंडारण अनुज्ञप्ति (Stock Yards) से भी बालू की आपूर्ति सरकारी योजना एवं निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में बालू उत्खनन् एवं उठाव पर अबतक कोई ठोस जनोन्मुखी नीति नहीं बनी है, जिससे अवैध खनन् एवं कालाबाजारी को अंजाम माफियाओं द्वारा दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्यान्तर्गत बालू उत्खनन एवं उठाव हेतु The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 लागू है। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 एवं माननीय न्यायालयों एवं माननीय NGT द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में बालू उत्खनन एवं उठाव के संदर्भ में आवश्वक कार्रवाई की जाती रही है।
4	क्या यह बात सही है कि खण्ड 2 एवं 3 में वर्णित विषय पर अंकुश हेतु, बालू उत्खनन व उठाव का अधिकार एवं नियंत्रण ग्राम सभा को देने से राज्य का भला होगा तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी;	The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार राज्यान्तर्गत Category-I बालूघाटों के संचालन ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत शासन के माध्यम से करने हेतु दिशा–निर्देश विभागीय पत्रांक–219, दिनांक–24.01.2018 निर्गत है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए जनोन्मुखी नीति बनाने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	यथा–उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–87/2023 1303 /एम०, राँची, दिनांक:– 30/07/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1713 दिनांक–22.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

33

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देश के अनुसूचित राज्यों की खनन क्षेत्रों की मालिकाना संबंधी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जुलाई, 1997 को समता Vrs आंध्र प्रदेश के मामले में पारित किया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित राज्यों को Regulation बनाते हुए खान खनिज पर मालिकाना अनुसूचित जनजातियों/मूलनिवासियों को देना था जिसपर अबतक राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है;	राज्यान्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम–13 के तहत लघु खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति सहयोग समिति को खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है तथा नियम–11 (क) के तहत "अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टे के स्वीकृति के पूर्व ग्राम–सभा का स्वतंत्र एवं पूर्ण संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।"
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित Regulation बनाते हुए Communities Command over the Natural Resouces को प्रतिपादित कर समता न्यायादेश को लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ0सू0)–97/2023 1307/एम०, राँची, दिनांकः– 30/07/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1918 दिनांक–26.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(34)

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–01.08.2023 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–10 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री मनीष जायसवाल, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में पदक विजेता खिलाड़ियों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के लिए पिछले वर्ष 2022 में स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड के लिए सरकार द्वारा आवेदन भरवाया गया था;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड के रूप में जूनियर स्तर के खिलाड़ियों को 35 हजार एवं सीनियर खिलाड़ियों को 70 हजार रूपये राशि दी जाती है परन्तु सरकार की लापरवाही के कारण हजारीबाग सहित राज्य के लगभग 03 सौ खिलाड़ियों को अबतक उक्त राशि नहीं दी गई है, जिसके कारण राज्य के खिलाड़ियों का मनोबल कमजोर हो रही है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** विभागीय संकल्प संख्या–03, दिनांक–11.03.2023 के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ी को दी जाने वाली नकद पुरस्कार राशि न्यनूतम 50(पचास) हजार रूपये है। झारखण्ड खेल नीति–2022 के अनुसार मान्य खेलों (विशेषकर ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स में शामिल खेल) में राज्य के उदयीमान खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जिसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश का गठन प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित खिलाड़ियों को खण्ड–02 में वर्णित राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–03, दिनांक–11.03.2023 द्वारा ओलम्पिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली नकद पुरस्कार राशि में अभिवृद्धि करते हुए इसके लिए संशोधित मानक निर्धारित किया गया है, जिसके आलोक में राज्य के योग्य खिलाड़ियों को आवश्यक जाँचोपरान्त एतद संबंधी समिति की अनुशंसा के आलोक में नकद पुरस्कार राशि (कैश अवार्ड) देने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसे एक समारोह आयोजित कर उन्हें वितरित किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–87/2023 1406 / राँची, दिनांक 28.07.2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1810/वि०स०, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/07/23

सरकार के संयुक्त सचिव

35

2139
29/07/2023

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में राज्य के 510 (+2) उच्च विद्यालयों के लिये 3120 शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ की गई थी;	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में पुनः विज्ञापन संख्या–02/2023 एवं 03/2023 के माध्यम से 3120 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित 3120 पदों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के पदों की संख्या "0" (शून्य) है तथा रोस्टर क्लियर भी नहीं किये गये हैं;	स्वीकारात्मक। राज्य में उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों की कुल संख्या 635 है, जिनमें 59 विद्यालय, बिहार अवधि के हैं तथा शेष 576, +2 उच्च विद्यालय झारखण्ड राज्य के गठन के उपरांत उत्क्रमित हुए हैं। 2. 510, +2 विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप +2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 11, प्रयोगशाला सहायक के 03 पद एवं लिपिक तथा आदेशपाल के 01–01 पद सृजित किया गया है। 3. उत्क्रमण के फलस्वरूप प्रत्येक +2 विद्यालय में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के **11 पद (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य)** सृजित किये गए हैं। 4. कुडुख, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी आदि जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा के +2 शिक्षकों का पद सृजित नहीं है। 5. फलस्वरूप मानक मण्डल के आधार पर सृजित प्रति विद्यालय 11 पदों के अनुरूप कार्यरत बल के सापेक्ष रोस्टर क्लीयरेंस किया गया है तथा वर्तमान में विज्ञापन संख्या–02/2023 एवं 03/2023 के माध्यम से 3120 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित है। राज्य के 510 +2 उच्च विद्यालयों में मानविकी विषय सहित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के 1033 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति को प्रेषित है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के पदों की सृजन में लापरवाही बरतते हुए रोस्टर क्लियर के मामले को दबाया जा रहा है, जो बेहद गंभीर मामला है;	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के पद सृजन करते हुए	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
	रोस्टर क्लियर के उपरान्त नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–173/2023 2139 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

(36)

2137
29/07/2023

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के तहत् गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के परिवार के बच्चे कक्षा *VIII* तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में उल्लेखित अधिनियम के तहत् राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रहे परिवार के बच्चों से कक्षा *IX* से 10 + 2 तक की पढ़ाई के लिए नामांकन तथा मासिक/अन्य शुल्क लिया जाता है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 वर्ग–1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं के लिए लागू है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम के तहत् नामांकित अत्यंत ही निर्धन परिवार से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के परिजन गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों के कक्षा *IX* से 10 + 2 तक की पढ़ाई के लिए महंगे विद्यालय शुल्क देने में असमर्थ होते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है, जिससे लक्ष्य समूह के अंतर्गत आने वाले इस समूह के बच्चों को लाभान्वित किये जाने पर रोक नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित अधिनियम के तहत् राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का कक्षा *IX* से 10 + 2 तक की मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने अथवा राज्य स्तर पर मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के तहत् राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का कक्षा *IX* से 10 + 2 तक की मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने हेतु कोई प्रावधान अंकित नहीं है एवं केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने अथवा राज्य स्तर से मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–165/2023 2137 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वादश (मानसून) सत्र में दिनांक 01.08.2023 को श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 02 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति का पद रिक्त होने के कारण राज्य के 56 उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों पर एफीलिएशन समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसमें 16 अभियंत्रण महाविद्यालय और 43 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शामिल हैं;	– अस्वीकारात्मक। दिनांक 25.07.2023 के प्रभाव से कुलपति द्वारा झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची में योगदान दिया जा चुका है। एफीलिएशन से संबंधित सभी कार्यों को निष्पादित करने की कार्रवाई की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित यूनिवर्सिटी अन्तर्गत राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को ए0आई0सी0टी0ई0 रेगुलेशन के तहत 31 जुलाई तक मान्यता प्राप्त करने का अंतिम समय है;	– स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित यूनिवर्सिटी में वर्णित पद सृजन के अनुरूप सभी पद रिक्त है, जिस कारण यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है;	– आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची में प्रशासनिक पदों पर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में बाह्य स्त्रोत से मानवबल की सेवा ली जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित यूनिवर्सिटी अन्तर्गत सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों का ससमय एफिलिएशन दिलाने तथा सृजित सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नियमित नियुक्ति से संबंधित Statute गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। Statute गठन के उपरान्त रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय स्तर से कार्रवाई की जायेगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0 / वि0स0–09 / 2023 753 / राँची, दिनांक– 31.07.23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1717 दिनांक 22.07.2023 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/23
(सरकार के उप सचिव)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री निरल पुरती, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–15

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न
क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</th><th>उत्तर
माननीय विभागीय मंत्री</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में पोषण योजना के तहत केन्द्रीकृत पाकशाला (Central Kitchen) के द्वारा मिड–डे–मिल का संचालन किया जा रहा है;</td><td>स्वीकारात्मक।
जिलों में केन्द्रीयकृत पाकशाला (Centralized Kitchen) की स्थापना का निर्णय एवं कार्यकारी संस्था का चयन जिला स्तरीय स्टीयरिंग–सह–मॉनिटरिंग कमिटि द्वारा किया जाता है।
राज्य में केन्द्रीयकृत पाकशाला (Centralized Kitchen) संचालन की स्थिति निम्नवत् है–
<table>
<tr><th>जिला का नाम</th><th>प्रखण्ड का नाम</th><th>आच्छादित विद्यालयों की संख्या</th><th>आच्छादित होने वाले छात्रों की संख्या</th></tr>
<tr><td>पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)</td><td>जमशेदपुर 1 एवं 2</td><td>297</td><td>33250</td></tr>
<tr><td>सरायकेला–खरसांवा</td><td>गम्हरिया–1</td><td>79</td><td>10421</td></tr>
<tr><td>पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)</td><td>सदर चाईबासा, तांतनगर, झींकपानी, खूँटपानी</td><td>370</td><td>29068</td></tr>
<tr><td>लोहरदगा</td><td>लोहरदगा एवं कुडू</td><td>102</td><td>13917</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>848</td><td>86656</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि अन्नामृत संस्था/अन्य द्वारा मिड–डे–मिल स्कूलों में आपूर्ति की जा रही है, जो कि गुणवत्तापूर्ण नहीं है तथा बच्चे खाने से इनकार कर रहे है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक
अन्नामृत संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन का संचालन किया जा रहा है।
पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावाँ में किसी प्रकार का कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। प.सिंहभूम एवं लोहरदगा जिला में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के निमित शिकायत प्राप्त हुआ है। मामले की जाँच एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तरीय स्टीयरिंग–सह–मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिड–डे–मिल का संचालन पूर्व की तरह करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>केन्द्रीयकृत किचेन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मध्याह्न भोजन के गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर जिला स्तरीय स्टीयरिंग–सह–मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के संचालन की व्यवस्था में बदलाव पर निर्णय लिया जाएगा।</td></tr>
</table>

30/8/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :17/वि.स.–06/2023 1049 /राँची, दिनांक 31-07- /2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1830 दिनांक 24.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(57)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वन क्षेत्रपाल वनरक्षक (रेंजर) का महत्वपूर्ण योगदान होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन भूमि के आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों में वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) के अलावे वनपाल एवं वनरक्षी का भी योगदान होता है।
2. क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 100 से भी कम वन क्षेत्रपाल वनरक्षक (रेंजर) कार्यरत हैं, जबकि सम्पूर्ण राज्य में 300 से भी अधिक की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में वन क्षेत्र पदाधिकारी के कुल–383 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध वर्त्तमान में 78 वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यरत हैं।
3. क्या यह बात सही है कि वन क्षेत्रपाल वनरक्षक (रेंजर) की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को वन्य प्राणी द्वारा क्षति होने पर काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन्य प्राणी द्वारा क्षति किये जाने के फलस्वरूप वनरक्षी, वनपाल एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में वन क्षेत्रपाल वनरक्षक (रेंजर) की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–5052 दिनांक–17.12.2018 द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति नियमावली अधिसूचित है। नियमावली पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति के क्रम में प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त नियमावली पर संशोधन की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–85/2023–2921 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1917, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23.

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(40)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.--26

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छतरपुर एवं नौडिहाबाजार प्रखंड के 436 पारा शिक्षक पिछले 20 वर्षों से शिक्षण संस्थान में कार्यरत है जिन्हें बार–बार वैध एवं अवैध करार देकर उनको मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सभी 436 पारा शिक्षक वर्तमान में अपने अपने शिक्षण संस्थान में कार्यरत है एवं उन्हें माह मई 2023 तक वेतन भुगतान किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मई 2023 का मानदेय भुगतान कर दिया गया है। माह जून, 2023 के मानदेय का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि आयुक्त, पलामू द्वारा किये गये जाँच रिपोर्ट में सभी पारा शिक्षकों को सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गई है;	अस्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि 436 पारा शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच समिति प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के जाँच रिपोर्ट में काफी विरोधाभास है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य, जिला स्तर की समिति के प्रतिवेदन कतिपय भिन्नता थी। तत्पश्चात् प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छतरपुर एवं नौडिहाबाजार के सभी 436 पारा शिक्षकों के कार्य अवधि को देखते हुए इन्हें सहायक अध्यापक के रूप में प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर सेवा सम्पुष्टि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू की अध्यक्षता में एक गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार योग्य पाये गये 543 सहायक अध्यापकों को कार्य करने एवं झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 के अनुसार संबंधित प्रशासनिक –सह– अनुशासनिक प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। 512 पारा शिक्षकों जिनका चयन/ अनुमोदन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर नहीं किया गया है, पर कार्रवाई विचाराधीन है।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :17/वि.स.–11/2023.1042./राँची, **दिनांक 31-07-...../2023**

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1962 दिनांक 26.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(41)

2150
29/07/2023

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत् इंटरमीडियट के पाठयक्रम में मशरूम की खेती, जैविक कृषि, रिटर्न की ई–फाइलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अंग्रेजी अभिव्यक्ति, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, टेक्सटाइल प्रबंधन, शेयर मार्केट का परिचय, वानिकी एवं वन्य जीव, सौंदर्य और तंदुरूस्ती जैसे अनेक विषयों को शामिल किया गया था;	अस्वीकारात्मक। व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल नहीं किया गया है। समग्र शिक्षा अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा विषयों में एग्रीकल्चर, अपारेल, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, बी.एफ.एस.आई., कन्सट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस., मीडिया एण्ड एण्टरटेनमेंट, लॉजिस्टिक्स, मल्टीस्किल्स, फिजिकल एडुकेशन, रिटेल, सिक्यूरिटी, टेलीकॉम और ट्रेवेल एण्ड टुरिज्म का अध्यापन कराने की स्वीकृति भारत सरकार के समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत् नये विषयों के लिये आवश्यकता के अनरूप शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पद सृजित नहीं किया गया;	व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल नहीं किया गया है, फलतः पदों के सृजन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान सत्र में ऊपर वर्णित विषयों के लिये भी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गयी है, जिसकी सत्र के दौरान पढ़ाई ही नहीं हुई;	झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा मात्र पूर्व से निर्धारित +2 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम अंतर्गत विषयों में परीक्षा ली जाती है, जिनका राज्य के 59, +2 उच्च विद्यालयों में पठन–पाठन की व्यवस्था बिहार अवधि से की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन नये सम्मिलित विषयों के लिये शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पद सृजित करने वर्त्तमान सत्र के विद्यार्थियों के लिये उन विषयों का विशेष कक्षा आयोजित करने और उसके बाद ही उन विषयों की परीक्षा लेने की घोषणा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य के 59, +2 उच्च विद्यालयों में इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम में शामिल विषयों में पठन–पाठन हेतु +2 व्यावसायिक अनुदेशक की व्यवस्था बिहार अवधि से की गयी है।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–174/2023 2150 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

42

1050
31-07-2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री भूषण बाड़ा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–22

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के समस्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण परियोजना को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा वर्षों से बहाल गरीब महिला रसोईयाओं को मेहनताना के रूप में प्रतिदिन 66 रुपये 66 पैसे का भुगतान किया जा रहा है, जो इस मंहगाई में बहुत कम है तथा इनका वर्ष 2022 एवं 2023 का मेहनताना का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है;	वस्तुस्थिति यह है कि– ▪ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमे व्यय भार का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाता है। ▪ रसोईया–सह–सहायिका को केन्द्रांश के रूप में 600/– रूपये तथा राज्यांश के रूप में 400/– रूपये के साथ ही राज्य योजना से 1000/– रूपये अर्थात कुल 2000/– रूपये प्रतिमाह के दर से 10 माह के लिए भुगतान किया जाता है। ▪ विद्यालय में रसोईया–सह–सहायिका मात्र मध्याह्न भोजन तैयार करने एवं वितरण का कार्य करती है, जिसमें तीन से चार घंटे का ही समय लगता है। ▪ वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजना से सभी रसोईया–सह–सहायिका को 1000/– रूपया प्रति माह की दर से भुगतान किया जा चुका है। ▪ केन्द्रांश एवं राज्यांश मद का 1000/– रूपया प्रति माह की दर से 09 माह का भुगतान 21 जिलों को किया जा चुका है। ▪ भारत सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण गोड्डा, सिमडेगा एवं गढ़वा जिले का 06 माह का भुगतान बाकी है। इसके लिए आवंटन की मांग भारत सरकार से पत्रांक 148 दिनांक 17.03.2023 एवं पत्रांक 449 दिनांक 06.06.2023 द्वारा की गई है। आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि प्रबंधन समिति द्वारा बहाल संयोजिकाओं को वर्णित विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सुनिश्चित है, बावजूद इसके संयोजिकाओं की सेवा अब तक निःशुल्क लिया जा रहा है;	विद्यालय में सरस्वती वाहिनी संचालन समिति द्वारा चयनित संयोजिका विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माता होती है। बच्चों को व्यवस्थित ढंग से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु इनकी सहायता ली जाती है। ये विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य है। योजनान्तर्गत संयोजिका को मानदेय भुगतान का प्रावधान नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्णित विद्यालयों में 50 बच्चे पर एक रसोईया बहाल करने का प्रावधान है, यदि रसोईया बीमार पड़ जाती है अथवा दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो	भारत सरकार द्वारा रसोईया–सह–सहायिका चयन का प्रावधान निम्नवत् है :– क्र.स. | विद्यालय में छात्रों की औसत उपस्थिति | रसोईया की निर्धारित संख्या

Khurshid

	परिस्थितिवश उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को भोजन मिलना बंद हो जाता है, भोजन बंद न हो इसके लिए वर्णित विद्यालयों में एक और रसोईया की नियुक्ति जनहित में आवश्यक है;	<table><tr><td>1</td><td>25</td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>26–100</td><td>02</td></tr><tr><td>3</td><td>101–200</td><td>03</td></tr><tr><td>4</td><td>अतिरिक्त 100 पर</td><td>01 अतिरिक्त रसोईया</td></tr></table> किसी भी रसोईया–सह–सहायिका के अनुपस्थिति में सरस्वती वाहिनी संचालन समिति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। उक्त परिस्थिति में किसी भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन का बंद होना प्रतिवेदित नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित विद्यालयों में बहाल रसोईयाओं/संयोजिकाओं को इस कमरतोड़ मंहगाई से निजात दिलाने हेतु आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के तर्ज पर मानदेय अथवा मनरेगा मजूदर मेठ की मजदूरी के तर्ज पर 299/– रुपये का भुगतान कराने तथा इनके बकाये राशि का भी भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	रसोईया–सह–सहायिका का कार्य मात्र विद्यालय में मध्याह्न् भोजन तैयार कर वितरण करना है जिसमें तीन से चार घंटे का ही समय लगता है। इसके लिए इन्हें प्रतिमाह रू0 2000/– का भुगतान किया जाता है।

30/7/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :17/वि.स.–10/2023 1050/राँची, दिनांक 31-07/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1921 दिनांक 26.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(43)

2161
30/07/2023

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न विद्यालयों में कुल 3015 *ICT* कम्प्यूटर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की नियुक्ति ठेके पर विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 2392 विद्यालयों में आई.सी.टी. इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं। विद्यालय में आई.सी.टी. योजना अन्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों में BOOT (*Build, own, operate, transfer* - निर्माण, अपनाना, परिचालन, हस्तांतरण) मॉडल पर योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें निविदा के माध्यम से चयनित प्रतिष्ठानों के द्वारा विद्यालय में आई.सी.टी. इंस्ट्रक्टर लगाया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सभी *ICT* कम्प्यूटर शिक्षक एवं शिक्षिका को पिछले 7 (सात) वर्षो से अति अल्प–वेतन (रु. 7900–8200) दिया जारहा है एवं 5 माह से मानदेय का भुगतान लंबित है;	अस्वीकारात्मक। आई.सी.टी. योजना अन्तर्गत विद्यालय में लगाये जा रहे आई.सी.टी. इंस्ट्रक्टर का सकल रूप से रु. 10,000–12,000 मासिक मानदेय प्रति विद्यालय समिति को स्वीकृत आवर्त्ती बजटीय उपबंध के आलोक में दिया जाता है। प्रतिष्ठान से प्राप्त सूचना अनुसार अधिकांश आई.सी.टी. इंस्ट्रक्टर का माह जून तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है। कुछ आई.सी.टी. इंस्ट्रक्टर का माह मई एवं जून का मानदेय का भुगतान लंबित है, जिसका भुगतान प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि बिहार, प. बंगाल एवं हरियाणा इत्यादि राज्यों में *ICT* कम्प्यूटर शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। आई.सी.टी. योजना का संचालन समग्र शिक्षा अन्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों में समग्र शिक्षा के *Norms* के आलोक में योजना का संचालन झारखण्ड एवं अन्य राज्यों, जिसमें बिहार, प.बंगाल, पंजाब एवं हरियाणा राज्य भी सम्मिलित हैं, किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार *ICT* शिक्षकों का बकाया वेतन का भुगतान कराते हुए सभी कार्यरत शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान में शामिल करते हुए मानदेय वृद्धि एवं दोषी एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आई.सी.टी. योजना अन्तर्गत विद्यालय में लगाये गये आई.सी.टी. इंस्ट्रक्टर का मानदेय प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान किये जाने का निदेश संबंधित प्रतिष्ठान को दिया गया है एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्रति विद्यालय आवर्त्ती मद के बजट में वृद्धि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किए जाने के आलोक में वृद्धि के संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी। नियमित भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है।

30/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–186 / 2023 2161 राँची, दिनांक 30/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

(45)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1051
31-07-2023

डॉ. सरफराज अहमद, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–07

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए अधिसूचित नियुक्ति/प्रोन्नति नियमावली 2022 में 50 प्रतिशत पद राज्य में कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए आरक्षित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों की संख्या लगभग 50 हजार है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में कुल 60422 सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) कार्यरत है जिनमें से 14036 सहायक अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है।
3	क्या यह बात सही है कि सहायक अध्यापकों द्वारा लगभग 20 वर्षों से विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया जा रहा है फिर भी सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होने के लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) को सरकार आचार्य के पद पर समायोजित करने का विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संशोधित नियमावली 2023 में सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की सेवा देने वाले सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित की गई है।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :17/वि.स.–04/2023...1051../राँची, दिनांक...31-07-.../2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1712 दिनांक 22.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(46)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगे होने के कारण बालू की उपलब्धता नहीं हो पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय NGT द्वारा वाद O.A. No.120/2016/EZ में पारित आदेश दिनांक–17.08.2016 तथा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के अनुपालन में मानसून अवधि (10 जून–15 अक्टूबर) में बालूघाटों से बालू उत्खनन पर रोक रहती है। मानसून अवधि में बालू का क्रय/आपूर्ति भंडारण स्थलों (Stock Yards) से किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि बालू उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास, विधायक मद की योजनाओं एवं अन्य लोकहित के निर्माण कार्य पूर्ण रूप से ठप है, जिससे लाभूकों को कार्य पूर्ण नहीं कर पाने के कारण अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा कार्य अधूरा छोड़ने के कारण कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है;	अस्वीकारात्मक। मानसून अवधि में राज्यान्तर्गत बालू की सुगम आपूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० के Stock Yards से आम नागरिकों को बालू उपलब्ध कराने के संदर्भ में दिनांक–11.06.2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। एवं विभिन्न जिलों में अवस्थित निजी बालू भंडारण अनुज्ञप्ति (Stock Yards) से बालू की आपूर्ति सरकारी योजना एवं निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है। The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार राज्यान्तर्गत कुल–361 Category-I बालूघाट चिन्हित है, जिसका संचालन संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत शासन के माध्यम से किया जाता है एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए बालू की आपूर्ति की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कराकर बालू की उपलब्धता को सुलभ बनाने का आदेश देने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्यान्तर्गत बालू उत्खनन एवं उठाव हेतु The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 लागू है, जिसके तहत Category-II बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा किया जाता है। सभी जिलों के बालू का District Survey Report (DSR) का अनुमोदन हो जाने के उपरान्त कुल–435 Category-II बालूघाटों के लिए MDO का चयन का कार्य किया जा रहा है। अभी तक कुल–28 बालूघाटों के लिए MDO चयनित किये जा चुके हैं एवं अन्य चिन्हित बालूघाटों पर MDO चयन के लिए वित्तीय निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–86/2023 1301 /एम०, राँची, दिनांक:– 30/07/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1716 दिनांक–22.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(47)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वादश (मानसून) सत्र में दिनांक 01.08.2023 को प्रो0 स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 24 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राजकीय पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग को Career Advancement Scheme (CAS) के तहत् मई, 2017 से ही देय केरियर सम्बर्धन (वित्तीय उन्नयन) प्रदान करने का मामला लंबित हैं;	– स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा CAS के तहत् राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग को देय केरियर संबर्धन (वित्तीय उन्नयन) प्रदान करने हेतु विहित प्रपत्र में संस्थानों से अनुशंसा प्राप्त कर विभागीय समिति द्वारा समीक्षोपरान्त आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करने का आश्वासन देने के बाद भी फलाफल शून्य है, फलतः पूरा शिक्षक संवर्ग देय वित्तीय उन्नयन के लाभ से आजतक वंचित है;	– स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजकीय पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को CAS के तहत् वित्तीय उन्नयन का लाभ शीघ्र प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	Career Advancement Scheme (CAS) अंतर्गत प्रोन्नति संबंधी नियम का प्रावधान तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 में किया जा रहा है जिसका गठन प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमावली के प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री, वित्त विभाग तथा विधि विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमावली के प्रस्ताव पर कतिपय पृच्छा की गई है, जिसका अनुपालन कर पुनः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को संचिका पृष्ठांकित है तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र आयोग को प्रेषित है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त की जाएगी। मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 के प्रावधानों के अनुसार राजकीय पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग को Career Advancement Scheme (CAS) के तहत् प्रोन्नति दी जाएगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0 / वि0स0–10 / 2023 – 756 /राँची, दिनांक– 31.07.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1923 दिनांक 26.07.2023 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/23
(सरकार के उप सचिव)

2149
29/07/2023

(48)

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–28 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विद्यालयों में बच्चों के बेहतर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास हेतु शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय स्तर पर, शारीरिक शिक्षा शिक्षण, यौगिक, क्रीड़ा एवं शारीरिक क्रियाकलापों के संचालन से संबंधित है, अतएव उपर्युक्त हेतु प्रशिक्षित अन्य संबंधित शिक्षकों द्वारा भी इसे सुनिश्चित कराया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि अभी हाल ही में राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संकल्प संख्या–1832 दिनांक 06.07.2023 का गठन की गई है, जिसके अन्तर्गत 189 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित कर शिक्षकों के पद का सृजन की गई है, परन्तु उक्त संकल्प में शारीरिक शिक्षकों का पद सृजित नहीं की गई जिसके कारण राज्य के उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चे अबतक शारीरिक शिक्षा से वंचित है, जबकि नई शिक्षा नीति–2020 में भी शारीरिक शिक्षक के पद का प्रावधान की गई है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि 189 मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण विभागीय संकल्प सं. 1982 दिनांक 13.10.2016 द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् की गयी थी। इन विद्यालयों में पूर्व की भाँति 11 शिक्षकों के मानक के आधार पर पद सृजन का प्रस्ताव प्रसाशी पदवर्ग समिति को समर्पित की गयी थी। प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि प्रशासी विभाग सभी स्तर पर अनुपयोगी पदों के संबंध में समीक्षा करे। तदोपरांत राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में वर्त्तमान सृजित पदों में से अनुपयोगी पद एवं वर्त्तमान सृजित पदों के पुनर्गठन अथवा अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के संबंध में समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अन्य राज्यों में माध्यमिक विद्यालय हेतु निर्धारित पदो के संदर्भ में सम्यक् समीक्षोपरान्त वर्त्तमान प्रचलित विभिन्न विषयों के 8 शिक्षकों के मानक के आधार पर उक्त 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं. 1832 दिनांक 06.08.2023 द्वारा दी गयी है। जिसमें प्रथम बार कम्प्यूटर विज्ञान के शिक्षक का पद शामिल किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में अबतक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने के कारण बच्चों का खण्ड–1 में वर्णित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रही है;	राज्य के संचालित 2326 माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों का कुल 1808 पद स्वीकृत हैं। जिसके विरुद्ध 884 शिक्षक वर्त्तमान में कार्यरत हैं एवं 168 अनुशंसा *JSSC* से प्राप्त है, जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के स्कूली बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए खण्ड–01 में वर्णित शिक्षकों की नियुक्ति चालू शैक्षणिक वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सोनी कुमारी एवं अन्य अवमाननावाद में दिनांक 15.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में शारीरिक शिक्षा शिक्षक सहित अन्य विषयों के स्वीकृत रिक्त विज्ञापित पदों के विरुद्ध *JSSC* से नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, अतएव नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–188 / 2023 2149 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

(49)

श्री दीपक बिरूआ, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–29 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक–29 जून 2023 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, जैक के अध्यक्ष कों अंगीभूत व डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने का निदेश दिया गया;	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रॉची से संबंधित है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में अबतक नामांकन हेतु अधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण 2 माह से नामांकन प्रक्रिया लंबित है;	अस्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–91/2023 1628/ रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1965, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।
R.Rau

(50)

2159
30/07/2023

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नये सत्र की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है;	स्वीकारात्मक। नया शैक्षणिक सत्र ग्रीष्मावकाश पश्चात् 01 जुलाई, 2023 से प्रारंभ हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि अधिकांश विद्यालयों में पठन–पाठन की सामग्री का वितरण नहीं किया गया है, जिसके कारण पठन–पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है, जबकि सभी विद्यालयों में पठन–पाठन सामग्री सत्र प्रारंभ होने से पूर्व मिल जाना चाहिए;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में अबतक कक्षा 1 से 10 की 84% पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति मुद्रकों द्वारा संबंधित प्रखण्डों में कर दी गई है। कक्षा 11 से 12 के लिए 91% पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति मुद्रकों द्वारा संबंधित जिलों में कर दी गई है। प्रखण्डों से विद्यालय तक पाठ्य–पुस्तक की आपूर्ति एवं बच्चों के मध्य वितरण की जा रही है। अगले एक पक्ष में सभी पाठ्य–पुस्तकें विद्यालय स्तर तक एवं बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की पूरी संभावना है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र हित में पठन–पाठन सामग्री समय पर शीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पाठ्य–पुस्तक मुद्रण एवं वितरण हेतु आगामी सत्र के लिए कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में ही पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जाने की योजना है।

30/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–172/2023 2159 राँची, दिनांक 30/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

(51)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री दीपक बिरूवा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.--27

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--	**माननीय विभागीय मंत्री**
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर--प्रखंड के बामेहुटूब प्राथमिक विद्यालय में कुल 88 बच्चे अध्ययनरत है;	स्वीकारात्मक। पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर--प्रखंड के बामेहुटूब प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में कुल 74 बच्चे अध्ययनरत है।
2	क्या यह बात सही है कि एक ही कमरे में पाँच--पाँच कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। विद्यालय में कुल 4 कमरा था, जिसमें से 3 कमरे जर्जर होने के कारण ध्वस्त करते हुए 3 नये कमरे का निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय के तर्ज पर हर वर्ग के लिए अलग कमरों की व्यवस्था करते हुए विद्यालय भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्णित विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना की आवश्यकता का आकलन कर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक--D.O. No. 21-8/2022-IS9 दिनांक 30.12.2022 के आलोक में जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

30/7/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :17/वि.स.--12/2023.1045./राँची, **दिनांक 31-07 /2023**

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक--1963 दिनांक 26.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(52)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**माननीय विभागीय मंत्री**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 2600 प्रखंड साधन सेवी (BRP)/संकुल साधनसेवी (CRP) कार्यरत है। जिनका कार्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रशिक्षित करना है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इनका मानदेय पारा शिक्षकों से कम है और इनके स्थायीकरण हेतु कोई नियमावली नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्यरत साधनसेवी को स्थायी करते हुए इन्हें पद के अनुरूप वेतनमान देने का विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में कार्यरत प्रखंड साधनसेवी (BRP)/संकुल साधनसेवी (CRP) की सेवा शर्त नियमावली का संलेख प्रारूप मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :17/वि.स.–05/2023 1047/राँची, दिनांक 31-07-/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1718 दिनांक 22.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–14 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चाण्डिल और भुरकुण्डा रेलवे स्टेशनों के प्लेटफोर्म से सटी रेलवेलाईनों पर खनिजों के चढ़ाने–उतारने एवं परिवहन के लिए रेलवे साईडिंग स्थापना एवं परिचालन करने की अनुमति प्रदान कर दिया है, जो मान्य नियमों एवं निर्देशों के विरूद्व है ?	अस्वीकारात्मक। **चाण्डिल–** चाण्डिल रेलवे स्टेशन 1987 से कार्यरत है। पर्षद द्वारा 14 मार्च 1990 के पूर्व स्थापित उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से मुक्त रखा गया है। यह एक हरी श्रेणी की इकाई है। स्थापना नियमतः सही है। **भुरकुण्डा–** रेलवे साईडिंग को हरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। भुरकुण्डा रेलवे साईडिंग स्थापना नियमतः सही है।
2. क्या यह बात सही है कि, भुरकुण्डा के समीप वैसे स्थानों पर भी साईडिंग संचालकों ने कोयला का भंडारण कर दिया है, जहाँ के लिये परिचालन कि सहमति (सी0टी0ओ0) नहीं है और यहाँ साईडिंग के एक भाग में कोयला भंडार में आग लगी है ?	भुरकुण्डा रेलवे साईडिंग में कोयले का भंडारण पर्षद से CTO प्राप्त क्षेत्र पर किया जाता है। दिनांक–08.06.2023 एवं 09.06.2023 को गर्मी एवं धूप के कारण कोयले में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया था। आग लगने के दौरान वहाँ से कोयले को अन्य सुरक्षित जगह पर रखा गया था, परन्तु अन्य सुरक्षित जगह से रेलवे रैक में लोडिंग–अनलोडिंग का काम नहीं किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि साईडिंग से सटे घनी आबादी, स्कूल, अस्पताल है और लोग प्रदूषण जनित बीमारियों का दंश झेल रहे है ?	**चाण्डिल–** आंशिक स्वीकारात्मक। चांडिल रेलवे साईडिंग से लगभग 150मी0 की दूरी से आबादी शुरू होती है। परन्तु रेलवे साईडिंग से लोगों के बीमार होने की सूचना नहीं है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्प्रींकलर, वृक्षारोपण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्मित है। **भुरकुण्डा–** अस्वीकारात्मक। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्प्रींकलर, वृक्षारोपण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्मित है। भुरकुण्डा रेलवे साईडिंग से उत्पन्न प्रदूषण एवं इससे लोगों के बिमार होने की सूचना नहीं है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चांडिल और भुरकुण्डा रेलवे स्टेशनों से साईडिंग हटाने का निर्देश देने और इसकी स्थापना एवं परिचालन की अनुमति देने वालों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?	लागू नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–84/2023– 2920 व0प0, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1812, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(56)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर एवं गैर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भारी कमी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को पठन–पाठन एवं अन्य कार्यों में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–516 दिनांक–02.03.2017 एवं संकल्प संख्या–1040 दिनांक–11.05.2023 के आलोक में राजकीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों के द्वारा महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है एवं विभागीय संकल्प संख्या–1040 दिनांक–11.05.2023 के आलोक में इन शिक्षकों को यू0जी0सी द्वारा निर्धारित अंगीभूत महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के बेसिक सैलरी रू0 57,700/– प्रतिमाह के समतुल्य मानदेय देने का प्रावधान किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी के कारण पठन–पाठन का कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण विश्वविद्यालयों के नेट ग्रेडिंग पर भी असर पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षेत्तर एवं गैर शिक्षेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति शीघ्र करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर के निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2022 के द्वारा 23 सितंबर 2022 को अधिसूचित हुआ जिसके अंतर्गत शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण विश्वविद्यालय को इकाई मानकर किया जाना है। राज्य के आठ राजकीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है तथा सहायक प्राध्यापक के कुल 2265 पदों पर नियुक्ति अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को शीघ्र भेजी जा रही है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदो के Restructuring, नियुक्ति हेतु संशोधित परिनियम एवं परीक्षा नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है तथा इनके गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिसके पूर्ण होते ही शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–82/2023 1634/ रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1819 दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

55

2160
30/07/2023

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली–2015 के आधार पर *JSSC* द्वारा विज्ञापित विज्ञापन सं. 21/2016 के अनुसार विभिन्न–विभिन्न विषयों के शिक्षकों की बहाली हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नियमावली–2015 को आधार मानते हुए *JSSC* द्वारा विषयवार शिक्षकों के लिए न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता स्नातक से एक या एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन देने की छूट रखी गई थी, साथ ही संगीत शिक्षकों के लिए राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता रखने वालों को आवेदन करने का प्रावधान किया गया था;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रकाशित (संशोधित) विज्ञापन सं. 21/2016 की कंडिका–5(*ii*) में प्रावधान किया गया था कि **"न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यताधारी वैसे अभ्यर्थी, जो स्नातक के विषयों के आधार पर एक से अधिक विषयों के पद/पदों की अर्हता रखते हैं, वे एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन भर सकते हैं। इस निमित आवेदन में विकल्प उपलब्ध रहेंगे, किन्तु यह विकल्प किसी एक जिले के लिए सीमित रहेगा, जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा हो।"** स्पष्टतः विषयवार शिक्षकों के लिए नियुक्ति के विषय में न्यूनतम् 45% अंकों सहित स्नातक उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु न्यूनतम् 40% अंकों सहित स्नातक उत्तीर्ण) की योग्यता (10 +2 +3 पाठ्यक्रम के अंतर्गत की स्थिति में संबंधित नियुक्ति के विषय/विषयों की पढ़ाई स्नातक के तीनों वर्षों में अनिवार्य थी), अनिवार्य योग्यता थी, अतएव् एक या एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन देने की उपर्युक्त छूट, उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता धारित किये जाने के अधीन थी।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में इसी आधार पर सैकड़ों अभ्यर्थियों की बहाली हुई थी एवं तत्काल 2022 में नई नियुक्ति नियमावली को आधार मानकर एवं माननीय कोर्ट का बहाना बनाकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर *Cont. Case No. 612/2022* में दिनांक 15.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015 में शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में निहित प्रावधान के आलोक में ही योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है। अर्हताधारी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कोई

(56)

2146
29/07/2023

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि यूनेस्को ने स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया "नो टीचर नो क्लास" के पिछले रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6200 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है एवं 40% शिक्षकों के पद रिक्त होने की बात भी यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बतलाई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में *U-DISE* 2022–23 के आंकड़े के अनुसार राज्य में 7265 सरकारी विद्यालय एक शिक्षकीय हैं। +2 विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्वीकृत 5610 पद के विरुद्ध 3120 से अधिक पद (55.61%) रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के स्वीकृत 25081 पद के विरुद्ध 10524 पद (41.96%) रिक्त हैं तथा प्रारम्भिक शिक्षकों के भी 50% पद रिक्त हैं, जिनके विरुद्ध सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने–अपने स्कूल छोड़ शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के साथ–साथ सचिव समेत जिले के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त हैं, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उत्कृष्ट विद्यालयों (*SOE*) के स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने एवं जे.सी.ई.आर.टी. में विषय प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य संस्थानों में शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर रोक है। विभागीय स्तर से अनुपयोगी प्रतिनियोजन की समीक्षा करते हुए क्रमशः प्रतिनियोजन समाप्त किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए यूनेस्को की रिपोर्ट पर जांचोपरांत राज्य के 40% शिक्षकों के पदों को भरकर राज्य के बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराये जाने हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने की कार्रवाई की जा रही है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं. 2/2023 एवं 3/2023 के माध्यम से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3120 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सोनी कुमारी एवं अन्य अवमाननावाद मामले में पारित आदेश के अनुपालन में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के विज्ञापित रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं. 13/2023 के माध्यम से प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26001 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–164 / 2023 2146 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

57

2144
29/07/2023

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों से इंटर प्रभागों को हटाने अर्थात् बंद करने का निर्णय लिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – (*i*) उप निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 170 दिनांक 13.07.2023 द्वारा कुलसचिव, झारखण्ड राज्य अवस्थित सभी राजकीय विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य, सभी अंगीभूत महाविद्यालय को अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा की पढ़ाई जारी रखने के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत है। (*ii*) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यवाही ज्ञापांक 1523 दिनांक 03.07.2023 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि स्नातक स्तरीय अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग करने हेतु सचिव, उच्च तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2022 को आहूत बैठक में अंगीभूत महाविद्यालय/डिग्री संबद्ध महाविद्यालय एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी/गैर सरकारी 10+2 विद्यालयों की मैपिंग कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। क्षेत्रवार प्राप्त मैपिंग प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके फलस्वरूप कतिपय महाविद्यालयों द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से इस आशय की पृच्छा हेतु पत्र प्रेषित किया गया कि सत्र 2023–25 से इंटरमीडिएट कक्षा में छात्र–छात्राओं का नामांकन लिया जायेगा अथवा नहीं।
2.	क्या यह बात सही है कि यकायक बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये इस प्रकार सरकारी डिग्री कॉलेजों प्रभागों को हटा देने से मैट्रिक पास विद्यार्थियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई जिलों में मात्र 1–2 ही डिग्री कॉलेज हैं और उसके अलावा इंटर (10+2) की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण छात्र–छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रखण्डों से दूर जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – (*i*) राज्य में वर्तमान में 635 +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिनमें इंटर प्रभागों के तीनों संकाय अन्तर्गत पठन–पाठन का कार्य सुचारू रुप से चल रहा है। इन सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में किसी भी विद्यालय से मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के नामांकन में कोई रोक नहीं है। (*ii*) इसके अतिरिक्त राज्य के सभी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा प्रस्वीकृत/अनुदानित इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में भी इंटर (+2) की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है। (*iii*) उपर्युक्त के अतिरिक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक 1523 दिनांक 03.07.2023 द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया है कि यदि किसी जिला या क्षेत्र में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने में कठिनाई हो, तो पूर्व के वर्षो की भांति, अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लिया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक पैमाने पर विद्यार्थी हित में तत्काल उक्त निर्णय को	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है। इस संबंध में रोक का निर्णय नहीं है। सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक 1523 दिनांक 03.07.2023 द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया है कि –

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	वापस लेते हुए पहले सभी जिलों में इंटर (10+2) की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था पिछले 02 वर्षों में हुए नामांकन की संख्या और इस बार वर्त्तमान में पास होने वाले मैट्रिक अभ्यर्थियों की संख्या के आलोक में प्रत्येक जिला में करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	(i) यदि किसी जिला या क्षेत्र में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने में कठिनाई हो तो, पूर्व के वर्षो की भांति, अंगीभूत एवं डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लिया जा सकेगा। (ii) अंगीभूत एवं डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्रवार नामांकन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना होगा, अर्थात् नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में कटौती करते हुए अगले दो–तीन सत्रों के पश्चात् इंटरमीडिएट शिक्षा को पूरी तरह पृथक करना होगा। यदि वे इंटरमीडिएट कक्षा का संचालन करना चाहते हैं, तो इस अवधि में परिषद् से झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त कर लें एवं (iii) यह निर्णय छात्रहित में लिया जा रहा है कि अंगीभूत एवं डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा के संचालन के लिए परिषद् से भविष्य में सम्बद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–166/2023 2144 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–25 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–1959, दिनांक–18.12.2022 द्वारा जाँच में अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्रवाई करने का निदेश उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को दिया गया था और तत्संबंधी प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर देने के लिए कहा गया था,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** विभागीय पत्रांक–1959, दिनांक–18.12.2022 के पूर्व भी विभागीय पत्रांक–2015, दिनांक–20.12.2021 एवं पत्रांक–257, दिनांक–22.02.2022 द्वारा कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।
2.	क्या यह बात सही हैए कि पूर्वी सिंहभूम के जिला खेल पदाधिकारी ने पत्रांक–114, दिनांक–22.01.2022 द्वारा जिम्मेदार नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध सिदगोड़ा थाना में दायर प्राथमिकी सं०–15/22, दिनांक–19.01.2022 में बयान दर्ज कराया है, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है?	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** जिला खेल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सिदगोड़ा थाना में प्राथमिकी अंकित कराया गया था, जिसमें जिम्मेदार व्यक्ति/समूह/समिति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर सिदगोड़ा थाना काण्ड संख्या–15/22, दिनांक 19.01.2022, धारा– 188/447/427 भा०द०वि० अंकित कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के क्रम में वादी रोहित कुमार (तत्कालीन जिला खेल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर) का बयान अंकित किया गया। इसमे इन्हानें बताया कि संजीव सिंह, अध्यक्ष एवं पवन अग्रवाल एवं अन्य सूर्य मंदिर कमिटि के द्वारा दिनांक 08.03.2021 को विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र को आवेदन दिया गया था, लेकिन बिना आदेश के सरकारी मद से निर्मित पार्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाना गैर कानूनी तथा स्वेच्छाचारिता प्रतीत होता है। इसकी जाँच के क्रम में वादी से अन्य गवाहों की गवाही देने हेतु कहा गया लेकिन अबतक कोई भी गवाह बयान अंकित नहीं कराये हैं, जिससे काण्ड में अग्रेतर कार्रवाई में काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान अनुसंधानकर्त्ता द्वारा तत्कालीन सूर्य मंदिर के कमिटि को चिन्हित कर अग्रिम जानकारी हेतु नोटिस दिया जा रहा है तथा घटना में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि परिसर में सरकारी खर्चे पर निर्मित संरचनाओं पर अभी भी अवैध वसूली करने वालों का कब्जा है,	3.	**अस्वीकारात्मक** उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के आदेश ज्ञापांक–239(A), दिनांक 26.07.2022 द्वारा इस परिसम्पत्ति का प्रभार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को दिया गया है। परिसर में सरकारी खर्चों से निर्मित सभी प्रकार के संरचनाओं का हस्तगन विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

जितेन्द्र

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनियमितता एवं अवैध वसूली के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी खर्च पर निमित भवनों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तकए नही तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन पार्क में सरकारी परिसम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने तथा अनधिकृत किराया वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जिसकी विवरणी उपरोक्त कंडिका 2 में उल्लेखित है। उपरोक्त कंडिका 03 में उल्लेख अनुसार स्पष्ट है कि सरकारी खर्चे पर निर्मित संरचनाओं पर अवैध कब्जा नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/90/2023 1427 /राँची, दिनांक 31.07.2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1961/वि०स०, दिनांक–26/07/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(59)

1052
31-07-2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री किशुन कुमार दास, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–09

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**माननीय विभागीय मंत्री**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से आज तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) का आयोजन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित परीक्षा का आयोजन नहीं होने से निकट भविष्य में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा निकट भविष्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–1 एवं 2 में वर्णित परीक्षा का आयोजन नहीं होने से झारखंड के हजारों शिक्षित बेरोजगार उम्र सीमा में 7 वर्ष का नुकसान उठाने को बाध्य हुए है जो बेहद चिंता का विषय है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार JTET का परीक्षा आयोजित करने के उपरांत ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में अधिकतम 07 वर्ष की छूट प्रदान करने का विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सहायक आचार्य के नियुक्ति से पूर्व वर्तमान में JTET परीक्षा आयोजित करने की अभी कोई योजना नहीं है। सहायक आचार्य के नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में अधिकतम 07 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :17/वि.स.–07/2023..1052../राँची, **दिनांक...31-07-.../2023**

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1817 दिनांक 24.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(60)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री संजीव सरदार, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–23

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि में पढ़ाई नहीं हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हेतु क्षेत्रीय भाषा के ओल चिकी लिपि में वर्ग एक और दो के लिए पुस्तक उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षेत्रीय भाषा के ओल चिकी लिपि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु कक्षा 1 एवं 2 के भाषा एवं गणित ओल चिकी लिपि में उपलब्ध करायी जाती है तथा कक्षा 3 से 5 हेतु भाषा की पाठ्यपुस्तकें ओल चिकी लिपि में उपलब्ध करायी जा रही है।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :17/वि.स.–09/2023 1043 /राँची, दिनांक 31-07 /2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1922 दिनांक 26.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid